प्रकरण संख्या 29/2021 श्रीमती नाथीबाई बनाम शंकरलाल

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.12.2022	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 15, 16 तथा भगवानलाल, नाथूलाल, श्रीमती प्रतापीबाई व श्रीमती लालीबाई द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बेमला में आराजी नंबर 909, 912, 919, 920, 932, 933, 934, 935 कुल किता 8 रकबा 1.0000 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसमें वादीगण का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 से 12 का 1/3 हिस्सा निहित है। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का 1/6 हिस्सा जरिये नामान्तरकरण संख्या 414 विरासत से मोती बेवा प्रथा के 1/6 हिस्से के बजाय प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम दर्ज हुआ। प्रतिवादी संख्या 13 का 1/6 हिस्सा निहित है उक्त हिस्सा जरिये नामान्तरकरण संख्या 408 दिनांक 20.09.2016 विनिमय से आराजी नंबर 932, 933, 934 किता 3 रकबा 0.2850 हैक्टर में प्रतिवादी संख्या 1 शंकर 1/6 हिस्से के बजाय प्रतिवादी संख्या 13 के नाम दर्ज हुआ। नामान्तरकरण संख्या 428 द्वारा विनिमय से आराजी नंबर 934 रकबा 0.1150 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 13 के नाम 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी सख्या 6 से 12 के 1/3 हिस्से के बजाय, साथ ही प्रतिवादी संख्या 6 से 12 के 1/8 हिस्से के बजाय प्रतिवादी संख्या 13 के नाम 9/24 हिस्सा दर्ज हुआ तथा इसी नामान्तरकरण संख्या 428 से आराजी नंबर 909, 932 व 933 कुल किता 3 रकबा 0.1950 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 6 से 12 के 1/3 हिस्से के बजाय प्रतिवादी संख्या 13 के नाम दर्ज हुआ। विवादित आराजीयात का अभी मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन नहीं हुआ है, जिससे प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते हैं। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर विवादित आराजीयात का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। उपरोक्त वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादी संख्या 6 व 13 की ओर से इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत किया गया तथा जवाबदावे के विशेष कथन में निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 6, 7 ने अपने पिता पदा से विरासत में [illegible] भूमि आराजी नंबर 919 रकबा 0.1800 हैक्टर [illegible] प्रतिवादी संख्या 6 स्वयं निवास करता है। इसके [illegible] इसके पास अन्यत्र कोई मकान नहीं है तथा इसी आराजी के आधे हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 7 का मकान निर्माणाधीन है, उसके पास रहने के लिए कोई	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.01.10 12:46:30 IST
Reason: Self Attested

पक्का मकान नहीं है। अतः मौके पर काबिज अनुसार भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम अलग–अलग दर्ज करायी जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनकर दिनांक 09.05.2019 को वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, तत्पश्चात् प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 23.02.2021 को प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा दिनांक 16.04.2021 को यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 6 तथा 13 की ओर से वकील श्री खेमराज डांगी एवं श्री ओंकारलाल डांगी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 14 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने धारा 96 जा.दी. के प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए बताया कि विवादित आराजियात में प्रतिवादी संख्या 13 प्रारम्भ से खातेदार नहीं है, उसने अनैतिक तरीके से विनिमय के आधार पर राजस्व अभिलेखों में अपना नाम अंकित करवाया है, जिससे उसका आधिपत्य शुरू ने नहीं माना जा सकता। वादीगण ने अपने वाद में आराजी नंबर 932 सम्पूर्ण पर अपना कब्जा अन्य आराजियात के साथ–साथ बताया है, किन्तु प्रतिवादी संख्या 13 को नाजायज लाभ पहुंचाने की गरज से आराजी नंबर 932 को दो भागों में विभाजित कर बीच में रास्ता बना दिया है, जबकि इस हेतु अपीलार्थीगण को नहीं सुना गया है, न ही उन्हें कोई सूचना दी गयी है, न ही अपीलार्थीगण के पूर्वाधिकारी भगवानलाल आर.आई. कुराबड़ के समक्ष उपस्थित हुए हैं, न ही उपस्थित होना संभव था, क्योंकि उनका देहान्त दिनांक 21.11.2020 को हो चुका था। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को पक्षकार बनाये बिना डिक्री जारी कर दी, जबकि अपीलार्थीगण वाद में आवश्यक पक्षकार थे। अतः अपीलार्थीगण को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया अपीलान्टगण प्रकरण में व्यक्ति एवं आवश्यक पक्षकार नहीं है। अतः अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.01.10 12:46:30 IST
Reason: Self Attested

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलान्टगण के पूर्वाधिकारी भगवानलाल प्रकरण में वादी संख्या 1 थे, जिनकी मृत्यु

अपीलान्टगण ने दिनांक 21.11.2020 को होना बताया है, जिसका कोई खण्डन रेस्पोन्डेन्टगण के अधिवक्ता द्वारा नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्टगण वादी संख्या 1 मृतक भगवानलाल के विधिक वारिसान होने से प्रकरण में व्यथित एवं आवश्यक पक्षकार हैं। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. स्वीकार किया जाकर अपीलान्टगण को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

गुणावगुण पर बहस करते हुए विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जो रिपोर्ट दिनांक 23.11.2020 प्रस्तुत हुई है, उस रिपोर्ट के साथ संलग्न पर्चा मौका से स्पष्ट है कि अपीलान्ट संख्या 1 से 9 के पूर्वाधिकारी भगवानलाल एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 15 व 16 द्वारा बंटवारे को मंजूर नहीं किया गया, इसी कारण दिनांक 05.01.2021 को पुनः आपत्ति प्रस्तुत की गयी। प्रतिवादी संख्या 13 द्वारा दिनांक 18.01.2021 को जवाबदावा प्रस्तुत करने के बाद अग्रिम पेशी दिनांक 02.02.2021 को पुनः वादीगण द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने आपत्तियों का निस्तारण किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 15 द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर भगवानलाल की मृत्यु दिनांक 20.11.2020 को होना बताया, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने उसके वारिसान अपीलान्ट संख्या 1 से 9 को पक्षकार बनाये बिना ही प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण कर अंतिम डिक्री जारी कर दी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 15 को यह अंकित करने का कतई अधिकार नहीं है कि प्रारम्भिक डिक्री पारित हो जाने के कारण स्वर्गीय भगवानलाल के वारिसान को पक्षकार बनाने की आवश्यकता नहीं है। अंतिम डिक्री जारी होने से पूर्व भगवानलाल की मृत्यु हो जाने से उसके वारिसान को बिना पक्षकार बनाये जो डिक्री जारी की गयी है, वह मृतक व्यक्ति के विरूद्ध होने से नलिटी है एवं इस प्रकार की डिक्री के आधार पर राजस्व अभिलेखों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। बंटवारे के पूर्व अपीलान्टगण को कोई सूचना नहीं दी गयी। ऐसी स्थिति में उक्त बंटवारा रिपोर्ट के आधार पर जारी अंतिम डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की [illegible] अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री [illegible] सभी पक्षों की उपस्थिति में विभाजन किये जाने [illegible] अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर **RBJ (25) 2018 Page 419, RBJ (26) 2019 Page 123, AIR 2017 SC**

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.01.10 12:46:30 IST
Reason: Self Attested

प्रकरण संख्या 29/2021 श्रीमती नाथीबाई बनाम शंकरलाल

Page 2419 प्रस्तुत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताया तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि फर्द बंटवारा तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया जाकर पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया है एवं वक्त फर्द बंटवारा सभी पक्ष उपस्थित नहीं थे तथा फर्द बंटवारे पर पक्षकारों द्वारा उठाई गयी आपत्तियों का निस्तारण किये बिना अंतिम डिक्री जारी की गयी है, तद्नुसार उपरोक्त न्यायिक नजीरों अनुसार उक्त फर्द बंटवारे के आधार पर जारी अंतिम डिक्री प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। इसके अलावा हम यह भी पाते हैं कि वादी संख्या 1 भगवानलाल की मृत्यु दिनांक 21.11.2020 को हो चुकी थी, जिसके विधिक वारिसान अपीलान्टगण को बिना पक्षकार बनाये प्रकरण में दिनांक 23.02.2021 को अंतिम डिक्री जारी कर दी, जो मृत व्यक्ति के विरूद्ध होने से विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 23.02.2021 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्टगण पक्षकार के रूप में संस्थित कर एवं उन्हें सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर सभी पक्षों की उपस्थिति में स्वयं तहसीलदार गिर्वा मौका रिपोर्ट तैयार कर अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करें। तत्पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय यदि उक्त फर्द बंटवारे पर पक्षकारान की आपत्तियां हों तो सर्व प्रथम उसका निस्तारण करें, तत्पश्चात् प्रकरण में साक्ष्य सबूत के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.02.2023 को उपस्थित रहें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.01.10 12:46:30 IST
Reason: SelfAttested

(अनीता मीना)
अतिरिक्त राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर